न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 86/19 RCMS id : 2018/00083

शब्बीर हुसैन आत्मज सुल्तान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

--(वादी)

बनाम

1–2. अब्दुल हमीद, जब्बार पिसरान स्व. महमूद
3–4. फकरूद्दीन, जाहिद हुसैन पिसरान स्व. यासीन
5–6. अब्दुल वहाब, मेहमूद अली पिसरान स्व. सुल्तान
7. फातमा पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी निजामुद्दीन
8. जैतून पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी अयुब
9. हमीदन पुत्री स्व. सुल्तान पती मोहम्मद अली
जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 16.03.2020

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन
प्रतिवादी अभिभाषक श्री रविन्द्र नागर

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 की 1.84 हैक्टर आराजी स्थित है जो वजीर मोहम्मद आत्मज सांईबक्श के खाते में दर्ज थी।
   - वजीर मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है तथा उनके इंतकाल के बाद उपरोक्त आराजी राजस्व कर्मचारियों द्वारा उनके वारिसान के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में बिना वारिसान से पुछताछ किये ही दर्ज कर दिये जबकि उनकी दोनों पुत्रियां महियम एवं रहमत को मरे हुये करीब 40 वर्ष व 30 वर्ष हो चुके है तथा दोनों लाऔलाद फौत हुई है। उनके पतियों का देहान्त भी उनकी मृत्यु के पूर्व ही हो चुका था। स्व. वतीर मोहम्मद के चारों पुत्रों मेहमूद, रहमान, यासीन व सुल्तान का भी देहान्त हो चुका है। इनका नाम भी रेवेन्यू रिकार्ड में बिना जांच किये ही दर्ज कर दिया है।

Scanned by CamScanner

- मेहमूद के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा रहमान पुत्र वजीर मोहम्मद के कोई औलाद नहीं थी तथा पत्नी भी मर गई थी इसलिये उनका नाम भी गलत रूप से दर्ज किया गया है।
- वादी तथा प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 स्व. सुल्तान के वारिसान है तथा मृतक यासीन पुत्र वजीर मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी क्रम 3 व 4 है।
- प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 ने वादी के साथ प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाई है इसलिये उनको प्रतिवादी की हैसियत से वाद में पक्षकार बनाया गया है।
- विवादित आराजी के अलावा भी स्व. वतीर मोहम्मद के नाम पर आराजीयात भी तथा मकानात थे, जिनका बंटवारा वजीर मोहम्मद ने अपने चारो पुत्रों के मध्य कर गये थे तथा उसी के अनुसार चारों लडके अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज चले आ रहे है।
- विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 की 1.84 हैक्टर आराजी बंटवारे में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 के हिस्से मे आई थी तथा बंटवारा में प्राप्त भूमि पर सन् 1954 से पूर्व से ही स्व. सुल्तान उपरोक्त आराजी पर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उपरोक्त आराजी को अपने खाते में दर्ज करवाने एवं शेष वादीगण का नाम रेवेन्यू रिकार्ड से तर्क करवाने के अधिकारी है।
- वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में सुल्तान के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 का 1/6 हिस्सा दर्ज कर रखा है जबकि सम्पूर्ण आराजी उन्हीं के नाम दर्ज होनी चाहिये।
- रेवेन्यू कर्मचारियों ने बिना कब्जे की जांच किये तथा बिना वारिसान से पुछताछ किये जो इंतकाल दर्ज किया गया है, वह निरस्तनीय है।
- वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 को उक्त इंतकाल की जानकारी जमाबन्दी की नकल दिनांक 14.10.2019 को निकलवाने पर हुई। वाद कारण दिनांक 14.10.2019 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर तथा जमाबन्दी में उपरोक्त गलत इन्द्राजात दर्ज कर देने पर उत्पन्न हुआ।
- वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस सम्माननीय न्यायालय की सहायता से उपरोक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करवा ले, तदर्थ यह वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।
- वादी ने उक्त सहायता के लिये प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त पूर्व में इस न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1.84 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी को वादी तथा प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 के खाते दर्ज की जावे तथा अन्य दर्ज सभी नाम तर्क किये जावे।

Scanned by CamScanner

- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न राजस्व दस्तावेज पेश किये गये :–

प्रदर्श–1 : नकल जमाबन्दी संवत 2073–20776

प्रदर्श–2 : नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038

प्रदर्श–3 : मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057

उपरोक्त के अतिरिक्त वादी की माता द्वारा वादी के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत तथा सिंचाई विभाग को जमा की गई राशि की रशीदों की फोटोप्रति पेश की गई है।

3. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादीगण तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादीगण की तामील होने की सूचना दिनांक 06.12.2019 को प्राप्त होने के बावजूद 60 दिन बाद भी प्रतिवादी क्रम 1, 2 तथा 5 लगायत 9 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6^1(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1, 2 तथा 5 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी क्रम 3, 4 की तामील उपरान्त उनकी ओर से वकालतनामा उपरान्त जवाब दावा पेश हुआ। जवाब दावा में वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। इकबाली जवाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी अभिभाषक द्वारा वादी गवाह शब्बीर हुसैन पुत्र स्व. सुल्तान के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया किया। प्रकरण में पेश दस्तावेजात पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।

5. प्रकरण की उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी पूर्व में स्व. वजीर मोहम्मद के खाते दर्ज रेकार्ड थी। स्व. वजीर मोहम्मद के चार पुत्र तथा दो पुत्रियां थी। स्व. वजीर खां की दोनों पुत्रियों तथा उनके पति लाऔलाद फौत हो चुके है फिर भी उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया। स्व. वजीर मोहम्मद की सम्पत्ति में विवादित आराजी के अतिरिक्त भी अन्य आराजीयात व मकान आदि थे। स्व. वजीर मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पत्ति का चारों पुत्रों में विभाजन कर दिया था। इसके अन्तर्गत विवादित आराजी वादी को अपने हिस्से में प्राप्त हुई। इसी दौरान स्व. वजीर मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से वे अन्य वारिसान का नाम विवादित आराजी से नहीं हटवा सके। स्व. वजीर मोहम्मद की दोनों पुत्रियों तथा अन्य तीनों पुत्रों के नाम आज भी जमाबन्दी में दर्ज है। इसके कारण भविष्य मे कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः स्व. वजीर मोहम्मद की दोनों पुत्रियों तथा सुल्तान के अतिरिक्त अन्य तीनों पुत्रों का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर उनके नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी अभिभाषक ने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वादपत्र में अंकित किये गये कथन पूर्णतः सही एवं सत्य है। हम प्रतिवादीगण के पिता को पूर्व में हिस्सा प्राप्त हो चुका है तथा स्व. वजीर मोहम्मद के सभी वारिसान अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी स्व. सुल्तान के हिस्से में आई थी।

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी पर स्व. सुल्तान ही काबिज काश्त रहे है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 आज तक काबिज काश्त है। विवादित आराजी में से स्व. सुल्तान के वारिसान के अतिरिक्त दर्ज स्व. वजीर मोहम्मद के अन्य वारिसान के नाम हटाये जाकर, विवादित आराजी को स्व. सुल्तान के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने उायपक्ष अभिभाषकगणों की, प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2035–2038 (प्रदर्श–2) के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा वजीर मोहम्मद वल्द सांईबक्श के नाम दर्ज रेकार्ड थी। मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–3) के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 140 का नया खसरा नम्बर 32 रकबा 1.84 हैक्टर कायम किया गया। उक्त खसरा नम्बर 32 की विवादित आराजी स्व. वजीर मोहम्मद तथा स्व. सुल्तान के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी क्रम 3, 4 की ओर से दिये पेश जवाब दावा तथा उनके अभिभाषक द्वारा की गई बहस के अनुसार वादपत्र के कथनों को स्वीकार किया गया है तथा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1.84 हैक्टर के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से "मेहबूब, रहमान, यासीन पुत्रान वजीर मोहम्मद, मरियम, रहमत पुत्रियां वजीर मोहम्मद" का नाम हटाये जाने तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

प्रकरण फैसल शुमार हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16 मार्च, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/3/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी— अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :-

शब्बीर हुसैन आत्मज सुल्तान, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
—(वादी)

बनाम

1—2. अब्दुल हमीद, जब्बार पिसरान स्व. महमूद
3—4. फकरूद्दीन, जाहिद हुसैन पिसरान स्व. यासीन
5—6. अब्दुल वहाब, मेहमूद अली पिसरान स्व. सुल्तान
7. फातमा पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी निजामुद्दीन
8. जैतून पुत्री स्व. सुल्तान पत्नी अयुब
9. हमीदन पुत्री स्व. सुल्तान पति मोहम्मद अली
जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

— (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 46 / 18 RCMS id : 2018 / 00083
निर्णय दिनांक : 16-03-2020

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री रविन्द्र नागर की उपस्थिति में वादपत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 16—03—2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1.84 हैक्टर के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से "मेहबूब, रहमान, यासीन पुत्रान वजीर मोहम्मद, मरियम, रहमत पुत्रियां वजीर मोहम्मद" का नाम हटाये जाने तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

— खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 16.03.2020 को जारी की गई।

16/03/2020
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह—व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह—व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner